(b) what are the names of 3 major private sector thermal plants in the country, their rated capacity and percentage capacity utilisation of each of them during the same period; and

(c) how the working of the private sector plants compares with that of the public sector plants?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF POWER IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI): (a) and (b) Information in regard to the capacities and the Plant Load Factors of thermal stations in the Central, State and private sectors for the period 1984-85 to 1987-88 (April to November) is given in the annexed Statement [*See* Appendix CXLIV, Annexure No. 135]

(c) The performance of several thermal stations in the Central and State sectors compares favourably with the performance of thermal stations in the private sector.

Licence for PFY manufacture to M/s. Reliance Industries

*432. SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 79 given in the Rajya Sabha on the 27th July, 1987 and state:

(a) whether the amended industrial licence for manufacturing Polyester Filament Yarn has since been given to M/s. Reliance Industries; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI J. VENGAL RAO): (a) and (b) In August 1981, M/s. Reliance Industries Ltd. were issued an industrial licence for establishment of a new undertaking in Maharashtra for manufacture of Polyester Filament Yarn for a capacity of 10,000 tonnes/annum This capacity was enhanced on 15th November, 1984 to 25,125 tonnes/annum under the re-endorsement scheme based on the highest production achieved.

टिहरी बांध

†*433. **श्रीमती रेणुका चौधरी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 अगस्त, 1987 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "टिहरी डैम प्रोजेक्ट नाट इकन मिकली वायवल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग के राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) सरकार का ध्यान उस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है, जिसका निष्कर्ष अन्य बातों के साथ-साथ यह है कि टिहरी बांध परियोजना आर्थिक दृष्टि से जीवनक्षम नहीं है, बांध का डिजाइन अधिकतम संभावित भूकम्पीय झटकों के लिए नहीं बनाया गया है और बांध की आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(ग) विशेषज्ञों की एक समिति ने टिहरी बांध परियोजना के भू-वैज्ञानिक और भूकम्पीय पहलुओं का अध्ययन किया है और यह निष्कर्ष निकाला है कि सुरक्षित और मितव्ययी ढांचे के लिए पर्याप्त आंकड़े और अध्ययन किए गए हैं तथा परियोजना के डिजाइन और निर्माण कार्य करने के लिए पर्याप्त तकनीकी सुविज्ञता उपलब्ध है । बांध की उपयोगी आयु 100 वर्ष से अधिक होने का अनुमान है तथा बांध के सुरक्षा संबंधी पहलुओं की जांच भी कर ली गई है । परियोजना की लागत और इससे प्राप्त होने वाले लाभों सहित विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग ने परियोजना अनुमोदित कर दी है ।

†पूर्वत: तारांकित प्रश्न 353, 1 दिसम्बर, 1987 से स्थानान्तरित ।